

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

Serial No. 6126

क्रमांक 10089

दिनांक 22/4/21

मूल्य 1000/-

पंज 1

वार्ड नं. 10/4

देता का नाम एवं पुरा पता श्रीमान् सम्पन्न सोहन लाल कुमार पति विभा कुमारी

न. जु. स्टाम्प श्रेडर संचित विभा कुमारी, R.O. ला. नं. 70/1970, कम्पल + 11 (1970) भा

22/4/21 Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 04/04/2022 by Vibha Kumari
A Stamp Duty of Rs. 166000/- and other Fees of Rs. 21500/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse
page.

The document has been registered as Deed No. 6065 in Book No. 1, Volume No. 119 on pages from
489 to 503 and has been preserved in total 15 pages in C.D. No. 19 / Year 2022

लिस्ट से

Date: 04/04/2022

Token No: 6304 /2022

Signature with Date

Arpana

Registering Officer, Danap

उत्नयन मनोबंध

Cannd By

(Development Agreement)

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 4.4.2022 को
श्रीमती विभा कुमारी पति का नाम श्री अशोक कुमार, निवा-38/4
हनुमान नगर न्यु पुनई चक थाना- शास्त्री नगर, जिला- पटना

दस्तावेज जाँचा
लिपिक

For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Vibha Kumari

Designated Partner

4.4.2022

is type

Name

Number 0126

Deed Number 6065

aimant Vikash Kumar (Part.)

Sig.

Vibha Kumari
4.4.22

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Little



Presented Vibha Kumari
By

Sig. Vibha Kumari
4.4.2022

Executant Vibha Kumari



Sig. Vibha Kumari
4.4.2022

Identified Arun Kumar
By

Sig.

Arun Kumar
4/4/2022

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Little



SCORE Ver.4.0

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 2802sop046



Vibha Kumari
4.4.2022

बिनामाली-उपनिवेश के अधिकार
(5611-4/1/22) के लिए नया
नया नमूना 2021/2022 में
नया नमूना 4/4/2022
X
4/4/2022

जिन्हें आगे जमीन मालकिन के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है।

आधार नं०-237481983412 पैन-BUAPK5012K

मो० नं०- 9424330297

एवं

मेसर्स साई सम्पन्न इन्फ्रा एल.एल.पी. जिसका LLPIN: AAL-8338, PAN: ADOFS7259Q तथा पंजीकृत कार्यालय- प्लैट नं०-106, ब्लॉक-ए, बिद्यानन्द महेश्वरी कम्पलेक्स, मंगलम विहार, सागुना, दानापुर, थाना- दानापुर, पटना- 801503 (बिहार) है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट-2008 के अंतर्गत पंजीकृत है, द्वारा इसके प्राधिकृत नामित भागीदार श्री विकाश कुमार (DIN-07686879) पिता का नाम- स्व० अजय कुमार, निवासी- प्लैट नं०-104, ब्लॉक-ए, बिद्यानन्द महेश्वरी कम्पलेक्स, जजेज कॉलोनी, सागुना, दानापुर, पटना, थाना- दानापुर, जिला- पटना 801503, नागरिकता- भारतीय जिन्हें आगे डेवलपर/भवन निर्माता, उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है।

मो० नं०- 7707000021

यह कि जमीन मालकिन मौजा- जमसौत, सर्वे थाना- दानापुर, जिला- पटना के थाना नं.- 30, तौजी नं.-5456, खाता नं.- 166 (एक सौ छियासठ), सर्वे प्लॉट नं.- 2317 (तेइस सौ सतरह), में एराजी- 15 (पन्द्रह) डिसमील जो 4 कट्टा 16 धुर के समतुल्य है, पर स्वामिनी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जा में है जिसका पूर्ण विवरण इस

For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Vikash Kumar

Designated Partner

4.4.22

4.4.2022



विलेख के कंडिका-5 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि इस विलेख में वर्णित सम्पति जमीन मालकिन की खास खरीदगी सम्पति है जिसे लेख्यकारिणी ने स्वयं दिनांक- 13/06/2003 को श्री नागेश्वर सिंह पिता स्व0 श्री नारायण सिंह वगैरह से खरीद की है जो अवर निबंधन कार्यालय दानापुर में निबंधित है जिसका वसिका संख्या- 3270/2003 जिल्द नं0- 102, पृष्ठ संख्या- 561 से 580 है, खरीदने के पश्चात् लेख्यकारिणी का खाना नं0- 5 में वर्णित सम्पति पर शांतिपूर्ण दखल-कब्जा वो स्वामित्व प्राप्त है, वो लेख्यकारिणी खाना नं0- 5 में वर्णित सम्पति पर दाखिल काविज वो मालकिन मुस्तकिल कायम हुई वो तब से जमीन मालकिन खाना नं0- 5 में वर्णित सम्पति पर स्वामिनी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी संख्या- 1536/ए पर, सरकार को लगान भुगतान कर रसीद कटाते चले आ रही है। इस तरह जमीन मालकिन लेख्य सम्पति का विकास एकरारनामा करने के लिए सक्षम है।

3. लेख्य प्रकार:- भूखंड विकसित करने हेतु विकासक के साथ अनुबंध।

4. भूखंड पर मल्टीकम्पलेक्स निर्माण पूरा होने पर कूल भूखंड पर मल्टीकम्पलेक्स निर्माण पूरा होने पर कूल निर्मित क्षेत्र का सुपर बिल्डअप क्षेत्र का 50 प्रतिशत भूखंड जमीन मालकिन का होगा एवं सुपर बिल्डअप क्षेत्र का 50 प्रतिशत विस्तारक का होगा लेकिन जो जमीन नापी के अनुसार होगा उसी पर निर्माण होगा तथा उसी जमीन पर निर्मित क्षेत्र के हिस्से पर दोनों पक्ष हिस्सेदार होंगे।

5. भूखंड का विवरण:- कुल क्षेत्रफल- 15 डिसमील (पन्द्रह) जो 4 कट्टा 16 धुर के समतुल्य है, जो मौजा- जमसौत सर्वे थाना- दानापुर, जिला- पटना के थाना नं.- 30, तौजी नं.-5456 खोता नं.- 166, सर्वे प्लॉट नं.- 2317 (तेईस सौ सतरह) में अवस्थित है। यह लेख्य सम्पति नगर परिषद दानापुर अवर निबंधन कार्यालय दानापुर एवं जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो0- 5 रुपये अलावे शेष अंचल कार्यालय दानापुर

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Designated Partner

11.4.22

Vibha Kumari

11.4.2022



Handwritten signature or mark.

के माध्यम से जमाबंदी संख्या- 1536/ए पर भुगतान किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

चौहद्दी

उत्तर - बालदेव राय वगैरह

दक्षिण - पार्ट प्लॉट नं०- 2317 यूगेशवर सिंह

पूरब - रास्ता / मन रोड

पश्चिम - खेसरा नं०- 2316 / जुगेशवर सिंह

एवं नागेशवर सिंह Vibha Kumari

नोट :- उपर्युक्त सम्पत्ति वर्ष 2016-17 के न्यूनतम दर पंजी के कोड नं.-151 एवं जोन- 2 पर अंकित है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य मो. 82,50,000/- (बेरासी लाख पचास हजार) रुपया है।

6. यह कि नक्शा स्वीकृति/रेरा निबंधन के पश्चात् विकासक एवं जमीन मालकिन एक माह के अन्दर अपने-अपने हिस्से का निर्धारण निश्चित रूप से कर लें एवं अपने अपने हिस्से से संबंधित सहमति पत्र/हिस्से बटवारा एकरारनामा 1000 रु० के नन जूडिशियल स्टाम्प पर फ्लैट नम्बर सहित हिस्से का निर्धारण कर लें एवं दोनों पक्ष बटवारा पत्र पर अपना-अपना हस्ताक्षर बना देंगे, विलम्ब होने पर विकासक हिस्से के अनुसार स्वयं हिस्से का निर्धारण कर अपने हिस्से के फ्लैट को निबंधित/अनिबंधित बिक्रय एकरारनामा व निबंधित बिक्रय पत्र का निष्पादन कर सकते हैं।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकम्प अवरोधि आवासीय-बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहती है और इस उद्देश्य हेतु इसे उपर वर्णित द्वितीय पक्ष विकासक को निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तों पर दिया गया है:-

- (i) यह कि प्रथम पक्ष यह घोषणा करती है कि यह भूखंड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात् सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋण-भार नहीं है साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्युजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केश भारत के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। यह जमीन पूर्णतः बिक्री योग्य है और इस भूखंड पर बहुमंजिला ईमारत के

For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Vibha Kumari

Designated Partner

4.4.22

Vibha Kumari

4.4.2022



4

नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करती है वो विश्वास दिलाती है कि वे इस भूखंड की पूर्णतः मालकिन है तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त है, परंतु अभी तक किसी के साथ न तो बेची है, न दान की है, न ही रेहन रखी है, न तो इस तरह का कोई अन्य एकरारनामा (एग्रीमेंट) स्टैंड करता है।

- (ii) यह कि प्रथम पक्ष इस एग्रीमेंट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ इंजिनियर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सहायता प्रदान करेंगी तथा व्यय द्वितीय पक्ष करेंगे जैसे उक्त भूखंड पर जाने, रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मेटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य बिकास पूर्व कार्य जमीन मापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।
- (iii) यह कि प्रथम पक्ष इस वासिका पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् द्वितीय पक्ष (विकासक) को जमीन पूर्णतः खाली अवस्था में सौंप देंगी जिसपर विकासक को यह अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा दिया जाता है कि विकासक लेख्य सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कार्य जैसे— बाउण्ड्रीवाल, मिट्टी भराई, ऑफिस निर्माण, कम्पनी का बोर्ड लगाना इत्यादि कार्य करेंगे जिसमें लेख्यकारिणी (प्रथम पक्ष) को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
- (iv) यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करती है कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखंड या भूखंड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटारयेगी और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ेंगी।
- (v) यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करती है कि उक्त भूखंड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेंट किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं की है, एवं किसी तरह का कोई विवाद या कर्ज इस भूखंड पर नहीं है अगर ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष उस भूखंड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यों में खर्च किये गए राशि पूर्ण हर्जाना के साथ लेने के हकदार होंगे, साथ ही प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करती है

For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Designated Partner

4.4.22

Vibha Kumar

4.4.2022



4

कि निर्माण अवधि में द्वितीय पक्ष के सामने किसी प्रकार का कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगी।

- (vi) यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन में प्रथम पक्ष (जमीन मालकिन) को सुपर बिल्डअप क्षेत्र का 50 (पचास) प्रतिशत हिस्सा एवं द्वितीय पक्ष (विकासक) को सुपर बिल्डअप क्षेत्र का 50 (पचास) प्रतिशत हिस्सा होगा।
- (vii) यह कि प्रथम पक्ष यह घोषणा करती है कि खाना नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर भूखंड मालकिन (प्रथम पक्ष) के अलावा और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई अन्य भाई, भतिजा, बहन इत्यादि अगर ऐसा होता भी है तो वह शर्त संख्या- vi के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदार होंगे न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्सा किसी भी स्थिती में प्रभावित नहीं होगा।
- (viii) यह कि प्रथम पक्ष इस बात पर सहमत है कि विकासक इस भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शे पर हस्ताक्षर करेंगे एवं जरूरत के अनुसार जमीन मालकिन भी हस्ताक्षर करेंगी तथा नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न रहेगा।
- (ix) यह कि रेरा एवं अन्य सभी तरह के जो भी संबंधित विभागों के द्वारा नोटीफिकेशन होगा उसे दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे, तत्पश्चात् फ्लैटों पर दोनों पक्षों के हिस्से का निर्धारण किया जायेगा।
- (x) यह कि प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय-समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर, मूल डीड, मदर डीड, खतियान दाखिल खारिज आदेश एल.पी.सी. ,लगान रसीद, बटवारा का कागज एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगी तथा प्रथम पक्ष आवश्यकतानुसार विकासक को अपनी उक्त लेख्य जमीन से संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जमाबंदी रसीद, खतियान, बंशावली एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, एवं अन्य कागजात उपलब्ध करा देंगी एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय पक्ष भवन

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Vibha Kumar

Designated Partner

4.4.22

Vibha Kumar

4.4.2022



निर्माण से संबंधित आवश्यक कागजात की एक प्रति प्रथम पक्ष (जमीन मालकिन) को हस्तगत करा देंगे।

- (xi) यह कि प्रथम पक्ष पुनः सहमत है कि अगर निर्माण कार्य में विघ्न या निर्माण कार्य किसी कारणवश बंद होने पर, जैसे कि भूखंड से संबंधित किसी तरह का विवाद, न्यायालय का आदेश से बंद हो या वैसी परिस्थिति में जो कि बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो, वैसी परिस्थिति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति से बढ़ाई जाएगी।
- (xii) यह कि यदि कार्य के दौरान टाईटिल से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी एवं प्रथम पक्ष ही उस विवाद को अपनी खर्च पर जल्द से जल्द समाप्त करायेगी।
- (xiii) यह कि द्वितीय पक्ष विकास एकरारनामा के निबंधन होने के तिथि से 3 वर्ष में निर्माण करके प्रथम पक्ष को उनका हिस्सा सौंप देंगे। उक्त अवधि में अगर प्रथम पक्ष का हिस्सा नहीं मिलता है तो प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को 6 (छह) माह का अतिरिक्त समय निर्माण हेतु दिया जाएगा यदि उक्त अवधि में विकासक प्रथम पक्ष को फ्लैट का कार्य पूर्ण कर यदि सुपुर्द नहीं करेंगे तो प्रथम पक्ष के हिस्से वाली फ्लैट पर 5000 रुपये प्रति फ्लैट प्रति माह विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान करेंगे।
- (xiv) यह कि जमीन मालकिन (प्रथम पक्ष) सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि वे बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक / संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे, लेकिन ऐसे ऋण को चुकाने की सारी जबाबदेही विकासक की होगी जमीन मालकिन इसके लिए

For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Designated Partner

4.4.22

Vikash Kumar
2.5.2022



कोई जबावदेह नहीं होगा, जिसमें जमीन मालकिन के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा लेकिन यदि रोड में जमीन जाता है तो सरकारी मुआवजा प्रथम पक्ष जमीन मालकिन के हिस्सा में होगा जिसे जमीन मालकिन ही प्राप्त करेंगी।

(xv) यह कि बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिक्रय पत्र हेतु एकरारनामा एवं बिक्रय-पत्र निष्पादित कर सकते हैं और इस कार्य में प्रथम पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा साथ ही प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से को किसी से बेच सकती हैं या अपने पास रख सकती हैं उसमें द्वितीय पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा, परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्ण हिस्से का निर्माण पूर्ण रूप से करके पहले प्रथम पक्ष को दखल कब्जा सौंपेंगे उसके बाद ही द्वितीय पक्ष अपने हिस्से पर किसी को दखल कब्जा सौंपेंगे।

(xvi) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सबसे उपरी छत, सेट बैक, सिढ़ी, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनेरेटर रूम, खुली जगह इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

(xvii) यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस कम्प्लेक्स का नाम "अम्बर-अजय पैलेस" रहेगा।

(xviii) यह कि सभी तरह के खर्चों का निष्पादन इस एग्रीमेन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि/ अथवा किसी भी प्रकार का कर की सारी जबावदेही प्रथम पक्ष की ही होगी।

(xix) यह कि बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, बिजली हेतु ट्रांसफरमर, पानी आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विधुत एवं जेनरेटर द्वारा विधुत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेंगे तथा विधुत कनेक्शन विधुत विभाग से स्वयं अपने खर्च पर सभी सदस्य एवं जमीन मालकिन स्वयं लेगे।

(xx) यह कि नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता

For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Designated Partner

4.4.22

Vibha Kumari

4.4.2022



है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य विकासक द्वारा पूर्ण करने पर जमीन मालकिन बढोतरी वाले भाग में भी अपने जमीन के हिस्से के अनुपात में हिस्सेदार होंगे लेकिन उसी अनुपात में जमीन मालकिन एवं क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा

(xxi) यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूँजी समावेश द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैट/पार्किंग के एवज में बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेंगे। किसी भी हालत में प्रश्नगत भूखण्ड बिल्डर बंधक नहीं रखेंगे।

(xxii) यह कि विकासक को उक्त प्लॉट के सटे कोई प्लॉट विकास करने के लिए मिलता है तो वैसी स्थिति में विकासक उक्त प्लॉट के साथ बाद में मिले प्लॉट को मिलाकर एक साथ या ब्लॉकवाइज विकास कर सकते हैं तथा उक्त प्लॉट पर विकास करने हेतु नक्शा स्वीकृति के बाद उक्त प्लॉट के सटे कोई प्लॉट विकास करने के लिए विकासक को मिलता है तो विकासक उक्त प्लॉट से बाद में मिले प्लॉट पर आने-जाने के लिए रास्ता का उपयोग करेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष (जमीन मालकिन) को किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

(xxiii) यह कि द्वितीय पक्ष की खाना नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति के उत्तर/दक्षिण/पश्चिम दिशा में स्थित जमीन को विकसित करने हेतु कुछ जमीन मालिकगण से विकास एकरारनामा हेतु बात चीत चल रही है, यदि अन्य जमीन मालिकगण से विकास एकरारनामा द्वितीय पक्ष करायेगे अथवा जमीन विकसित करेंगे इसमें प्रथम पक्ष/उनके वंशज अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों किसी प्रकार की ना आपत्ति है न ही भविष्य में होगी।

For SAI SAMIPANN INFRA LLP

Vibha Kumar

Designated Partner

4.4.22

Vibha Kumar

4.4.2022



(xxiv) यह कि प्रथम पक्ष घोषणा करती है अपनी हिस्से में मिली कुल फ्लैटों/कार पार्किंग स्पेश का कुल परम निर्मित क्षेत्र के लिए बिहार सरकार, रेरा एवं अन्य किसी भी प्रकार के कर, शुल्क इत्यादि जो भी सरकार द्वारा निर्धारित है अथवा निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं करेंगी।

(xxv) यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट के तहत किया जाएगा।

मोड ऑफ पेमेंट:- ननरिफन्डेबल रकम मो0 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये प्रति कट्टा की दर से जमीन नापी के अनुसार जमीन मालकिन को भुगतान किया गया/जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत है :-

दिनांक	चेक संख्या	बैंक	रकम
04.04.2022	044674	फेडरल बैंक	रु0 7,50,000/-

शेष रकम का भुगतान विकास एकरारनामा के निबंधित तिथि के 6 माह के अन्दर किया जायेगा।

एनेक्चर

अपार्टमेंट/भवन के निर्माण के अन्तर्गत आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल विवरण:-

1. फाउंडेशन आर0सी0सी0 पाईलिंग (भूकंप रोधी)
2. स्ट्रक्चर आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क ईटवर्क सिमेन्ट मोर्टार के साथ (प्रथम कोटी का)
4. छत आर0सी0सी0
5. फर्श विट्रीफाईड टाइल्स
(कजोरिया/जॉनसन/सोमानी/समकक्ष)
6. प्लास्टर दिवाल सिमेंट मोर्टार (1:6) सिलिंग सीमेन्ट (1:4)



For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Vibha Kumari
Designated Partner

4.4.22

Vibha Kumari

4.4.2022

7. दरवाजा सखुआ लकड़ी का चौखट, 32 मी.मी. मोटा प्लश डोर प्राइमर सहित (किट प्लाई/सेन्चुरी) एवं मुख्य दरवाजा लकड़ी / डिजाईनर
8. खिड़की लकड़ी फ्रेम खिड़की शीशा लगा (गमहार एवं सखुआ) / यूपीभीसी
9. रसोई घर ग्रेनाइट का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दीवाल में 24 इंच ग्लेज्ड टाईल्स
10. बाथरूम दिवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाईल्स तथा सतह में एन्टी स्कीट टाईल्स एवं पलमबिंग फिटिंग जगवार/समकक्ष का होगा
11. विद्युत वायरिंग कॉन्सिल्ट पी0बी0सी0 कॉन्ड्युट वायरिंग (एंकर/हॉवेल्स) सहित स्टैंडर्ड क्वालिटी का फिटिंग स्वीच के साथ
12. दीवाल फिनिशिंग अंदर और बाहर से वालपुटी
13. टी0 बी0 एवं ए.सी. का सभी कमरों में एक प्वाइन्ट।
14. टेलिफोन प्वाइन्ट, सभी फ्लैटों में एक प्वाइन्ट
15. सिवरेज उपर्युक्त व्यवस्था सहित।
16. जेनेरेटर (ध्वनी रहित) एवं इंटरकॉम का प्रावधान रहेगा (महिन्द्रा/किर्लोस्कर)
17. लिफ्ट स्टैंडर्ड कम्पनी का (ओटिस/कोने/जॉनसन)
18. जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वतंत्र बोरिंग के द्वारा होगा।
19. भवन निर्माण में उपयोग होने वाले छड़, सिमेंट एवं ईट ए-ग्रेड (ISI) मार्क का होगा।
20. फायर शेफटी की व्यवस्था विकासक सरकार के नियमानुसार करेंगे।

For SAI SAMPAAN INFRA LLP

Vibha Kumar

Designated Partner

4.4.22

Vibha Kumar

4.4.2022



निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ मन एवं दिमाग से अपने-अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण का हस्ताक्षर:-

1. Anand Kumar S/O Suresh

9/11/21

VILL - Bori Khazaul

Post P.S - Khazaul Dist -

Patna Pin - 801105

Vibha Kumari

(प्रथम पक्ष)

4.4.2022

जमीन मालकिन का हस्ताक्षर

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Vijay - 6-1

Designated Partner

(द्वितीय पक्ष)

4.4.22

बिल्डर का हस्ताक्षर

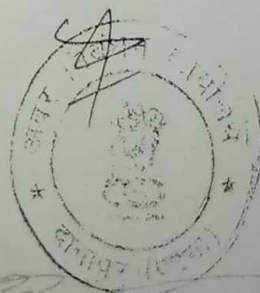
2. श्रीमती रिद्धि
मो. 98221 2171 देवेंद्र रिद्धि
सा. मन्मथपुर
पो. 205111
पिन - 512141
डिस्ट - 5291

मुद्रित किया:-

दोनों पक्षों के निर्देश पर इस विलेख पत्र को तैयार किया गया है।

(राकेश खन्ना),

अधिवक्ता,





Vibha Kumari

जमीन मालकिन का हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष) ५.५.२०२२

अनिल कुमार
५/५/२०२२

विश्वनाथ

विकासक का हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)



Admissibility of Certificate of Admissibility
Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act

Rs. 166000/-

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act

Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Amt. paid through Bank Challan	Rs. 186500/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	21000	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		0
TOTAL-									21000

LLR + Proc Fee	Service Charge
LLR	0
Proc. Fee	0
Total	0

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21500

Date: 04/04/2022

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Monday, 04th April 2022 by Vibha Kumari Sri Ashok Kumar by profession Others. Status - Executant

Vibha Kumari
4-4-2022

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 04/04/2022

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Arun Kumar ' age '54' Sex 'M', 'Parshuram Singh', resident of 'Hanuman Nagar, Phulwari, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the Instrument.

Date : 04/04/2022

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 119 on pages on 489 -503, for the year 2022 and stored in CD volume No. CD-19 year 2022 .The document no. is printed on the Front Page of the document.



Date : 04/04/2022

Registering Officer
Danapur

Token No. : 6304 Year : 2022 S.No. : 6125 SCORE Ver.4.1 Deed No. : d No. : 6065

Card No. Credit Card No
0978446198

Name: Dampu
Tel. No./Mobile: 082
Amount: 17460
Rupees: 17460

CASH TRANSFER
SBI, Danapur Bazar, Patna
JITENDRA RAJAK
RF No: 6643221

Cash/Cheque
SBI Toll Free 24 Hours Call Centre
No 18004253800 1006112214



Date : 04/04/2022 12:52:53 PM

From :
To :

ACCOUNT HEAD DETAILS

R0030021030001-75-49-STAMP DUTY ON IMPRESSING OF DOCUMENTS	PAY AMC	16500
R0030031040001-75-49-FEES FOR REGISTERING DOCUMENTS		2100
R0029008000006-00-01-LANDLORD REVENUE AND PROCESSING FEES		
Total Amount : Rupees One Lac Eighty Six Thousand Only		18600

PAYER DETAILS

Tax ID (if any) :
Unique Id :
Name : SAI SAMPANN INFRA LLP
Address : Flat No. 106A, Vidyanand Maheshwari Complex Manglam Vihar
Danapur, Patna-801503

PAYMENT DETAIL

BANK Name : SBI
Branch :

FOR USE IN RECEIVING BANK

CIN : 00001532022040406130 REF No : CKT3082934
Date & Time : 04/04/2022 12:50:11 PM
Scroll No & Date :

----- Cut Here ----- Cut Here ----- Cut Here -----

BANK NAME SBI		Pre Acknowledgement Payment (PAP) for Payment through any branch		(BRANCH COPY)	
Bank Reference Number	CKT3082934	Mode of Payment	Cash	Cheque/DD	
Beneficiary		Cash Notes	Amount	Rs	Paise
GRN	BHR202204129824E	2000 x			
Full Name	SAI SAMPANN INFRA LLP	500 x			
Amount	186000.00	100 x			
		50 x			
		20 x			
Cheque/DD No		10 x			
Date	04/04/2022 12:50:11 PM				
Drawee Bank	SBI				
Drawee Branch		Total	Rs		

Branch Stamp

Signature of Depositor

Branch Teller: Use SCR 008765 Deposit > Fee Collection > State Bank Collect





अरुण कुमार

Arun Kumar

जन्म तिथि/DOB: 01/05/1968

पुरुष / MALE



8304 4728 3743

आधार-आम आदमी का अधिकार

राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

पता:

Address

श्रीमज: परशुराम सिंह,
38/4, हनुमान नगर, एस.जी.
एच. के पास, न्यू पुनाइचक,
फूलवारी, पटना,
बिहार - 800023

S/O: Parshuram Singh 38/4,
hanuman nagar near S.G. Chowk
punachak, Phulwari, Patna,
Bihar - 800023

8304 4728 3743

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

अरुण कुमार

पहचानकर्ता





राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन

Running Unique No.: 26102021035702340006
(Receipt No.)

जिला:- Patna	अंचल:- Danapur
हल्का:- जमसीत	मौजा :- जमसीत
जमाबंदी सं०:- 1536/A	मौजा/थाना सं०:- 30
भाग वर्तमान:- 4	
पृष्ठ संख्या:- 29262	
जमाबंदी रेयत का नाम:- VIBHA KUMARI	पता:- 38/4, HANUMAN NAGAR, NEW PUNAICHAK, PATNA
अभिभावक का नाम:- ASHOK KUMAR	

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
166	2317	0 एकड़ 15 डिसमिल 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2021-2022 से 2021-2022
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	0.00	43.50	0.00	50.00	2021-2022 से 2021-2022
कुल	73.50	0.00	73.50	0.00	80.00	2021-2022 से 2021-2022

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	30.00	30.00	2021-2022 से 2021-2022	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	43.50	50.00	2021-2022 से 2021-2022	
कुल	0.00	73.50	80.00	2021-2022 से 2021-2022	

कुल बकाया-80.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees

तिथि- 26-10-2021



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 4 पृष्ठ संख्या : 29262 जमाबंदी संख्या : 1536/A कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या : 212139900014044
जिला का नाम : Patna अनुमंडल नाम : Danapur अंचल का नाम : Danapur हलका का नाम : जमसौत
मौजा का नाम : जमसौत होलिंग संख्या : N/A तौजी संख्या : 0 थाना नंबर : 30
VIBHA KUMARI, सौहर / पति-ASHOK KUMAR, जाति-
N/A

खाता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान
166	2317	0 ए 15 डि 0 हे	पू०: प०: उ०: द०:	n/a	30
कुल परिमाण		0 ए 15 डि 0 हे			

तिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
11-11-10	316403	2011-2012	2011-2012	0
120-09-12 19:04:40.0	0829280761	2012-2013	2020-2021	240
121-10-26 15:58:38	26102021035702340006	2021-2022	2021-2022	0

परोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

एक कम्प्यूटर जनित प्रति है
सी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
ट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर विलोक करे।

कुरु 5 मी 1, 1500 रु 4 (2.5 रु 20)



वि. सी. वि. न. मा. वि. र.

13/4/84 29157

2977

मुलक भुगतान



37, 28 1300 43 208.62

7/4/84 के अधीन जोर दिनांक 7/8/84, परमाणु विभाग को न (कुकी 1.00) बरतना

17/3/84

13/6/83

नाम (निरुपकारी) :: श्री नागेश्वर

सिंह पिता का नाम स्वर्गीय शिवनारायण सिंह खुद वपली पेशर जवालिग पन्द्रज कुमार पिता श्री नागेश्वर सिंह निवास स्थान मठियापुर

नगरपालिकाको सेट्टी हुनु सपना
सुदामा वसुन् पापा बाबाजी निक्कै पढ्ने
सत्रम् । मितावी अप्पले कोप हाव से पाता संकल्पिते
मा सिखान लवापा ।

ना: 13/4 - 2003



17350-

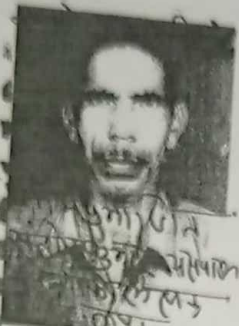


17350/-
 श्रीमती विमला कुमारी
 पिता/पति श्री अशोक कुमार
 पता/स्थान 32/6 हनुमान मंदिर नर पुनर्वासि
 जिला अमरकोट
 जिला पंजाब

[Signature]

230/6.03

नाम/पिता नाम
 श्रीमती विमला कुमारी



नाम/पिता नाम
 13/6/2003

महाराष्ट्र
 श्रीमती विमला कुमारी
 13/6/03



[Signature]
 13.6.03



व्यक्ति श्री/श्रीमती श्रीमती विमला कुमारी
 मे पिता/पिता का नाम श्री अशोक कुमार
 पिता का नाम श्री अशोक कुमार
 जिला अमरकोट जिला पंजाब
 श्रीमती विमला कुमारी

107.1004 (610)

सही नागेश्वर सिंह

महाराष्ट्र 13/6/2003

107.1004 (610)

श्रीमती विमला कुमारी
 13/6/2003

[Signature]

महाराष्ट्र

13/6/03

5000Rs.



(२)
धाना शाहपुर जिला पटना भारतीय
जागरिफ :-

श्री मती विभा
कुमारी चर्मपत्नी श्री
अशोक कुमार निवास्
स्थान ३८/४ हनुमान
नगर न्यू पुनर्निर्माण
धाना शास्त्री नगर
जिला पटना भारतीय
जागरिफ :-

निर्दिष्ट सिद्ध

१३/६/२००३

लेख्य प्रकार :- निर्दिष्ट विप्रेक्ष
प्रत के पाला बैलाफलामि
थानि विक्रय प्रत :-

लेख्य सम्पत्ति :- अंकित १,१२,५००
मूल्य रुकलारपबारह हजार
पाँच सौ रुपया :-

लेख्य सम्पत्ति :- मवाजी १५ डीसमील
का विवरण (पन्डह डीसमील)
हरिजी पस्ती अवासीय
हकिमत रयती कायमी
नगदी बाकै मौजा

१३/६/२००३

२१/६/२००३

२१/६/२००३

२१/६/२००३

१३-६-२००३

17113



संख्या: 17350/—
नाम: हिमाली विमल कुमारी
पिता/पति: —
विवरण: —
दिनांक: —
स्थान: —
हस्ताक्षर: —



12-10-73
नगर निवासी
स्थान: —



जमसौत पशुना फुलवारी आना वो
 सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो
 जिला पटना जिसका माना संख्या ३०
 तीली संख्या १४५६ खाता संख्या १६६
 रपेसर। पंजीट संख्या २३१७

भालिक बिहार सरकार वनस्थि अंचला-
 अधिकारी दानापुर लगान १/१५ पैसा
 अन्नापे डीप।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति की बिक्री हेतु
 लैरन्यकारी जे २६१० सम्पत्ति मुमि हदबदी
 अधिनियम १४७६ की चारा २६ (१) के
 अन्तर्गत विहित प्रपत्र पर दिनांक
 २४-३-२००३ ई० को सक्षम पदाधिकारी
 पटना के समक्ष सूचना दारिखत किये हैं
 जिसका क्रमांक संख्या २४७७ वर्ष २००३
 ई० है जिससे साठ दिनों से अधिक की
 अवधि समाप्त हो चुकी है और आज तक
 उक्त सम्पत्ति का अधिग्रहण या सूचना
 पत्र की अस्वीकृति की कोई सूचना
 लैरन्यकारी को सरकार द्वारा नहीं दी गई
 है जिससे उक्त अधिनियम की चारा (१)

सोनिश्वर प्रसिद्ध

१३/६/२००३

गोपनीय प्रमाण

सोनिश्वर प्रमाण

पंजी

सा १३-६-२००३

38933



173504
श्रीमती विमला कुमारी
विभाग/विधि
प्राप्त/प्रति
दिनांक
स्थान

[Handwritten signature]
[Stamp]



12



33663

1000Rs.



के अन्तर्गत स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्पत्ति
के हस्तांतरण करने में सरकार को कोई
आपत्ति नहीं है।

जोषि बाला सिंह
१३/६/२००३

उत्तर दक्षिण पुरख पश्चिम
बालदेवराय - पार्थ उलोटे पञ्चन हजार
बडेरह नं० २३१६ सिंह
पट्टीदार पट्टीदार
जुजेश्वर सिंह महीबलके

उलोटे नं० २३१६
जुजेश्वर सिंह या
नागेश्वर सिंह

संदर्भ

हकिमत यह है कि इस
विक्रय पत्र के रजाने नं० २ कि वर्णित
सम्पत्ति वरामुल और भी ऐशजीयात के
साथ दिनांक २४-७-२८ ई० को लेख
कारि के पिता स्वर्गीय शिवनारायण सिंह
को चत्ता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह के नाम
से बेच शरीद किये हैं जो अप्रिस्ते प्यारी
कुंवर को कुलकुंवर से बेच शरीद किये
ये जिसका सिरियल नं० ६४१६ निबंधन
संख्या ६००४ निबंधन कर्पोलेय दानापुर
है और जो बाद राम प्रसाद सिंह अपने
रजाने नं० ६८८८ सिंह को जोड़कर जोषा

१) चने मल २ राज
नं० २१०१
मान दानापुर
जिला पुरवा
१३/६/२००३

38934



17350
Saf - Am Guard

नाम: लक्ष्मी - विमल कुमार
 पता: ...

6/20/01

Confession

Environ

600

10/10/10



12

3893

100Rs.



स्वर्गवाशकर जय और शिव नारायण
सिंह अपने दो पुत्र पं. जगेश्वर सिंह
को दुसरा नाजेश्वर सिंह को छोड़कर स्वर्ग-
वाश कर जय और दोनों माई दिगां कु.
१४-१-१९११ ई. को रमानजी दंग से
उत्ती बटेवारा द्वारा पोट लिखे जिसमे १२
डी. सी. ल. जमीन जो रमाने नं. २ में मुज्दज
हैं लेख्यकारी को खास पटकर हिस्सा में
मिला है और ता पटकर मिले सम्पत्ति पर
लेख्यकारी का बीज दरकील मालिक
मुस्तकील रहते चले आते हैं वो हैं वो
बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन
रजिस्टर्ड पर लेख्यकारी का नाम अंकित
है जो लेख्यकारी के नाम से जमाबन्दी
नं. २४ / २ के द्वारा जमीनदारी रसीद
करते चला आता है वो है और पाण
को शाल है।

नाजेश्वर सिंह
१३/६/२००३

लेख्यकारी को स्वयं का जरूरत
पारते करने व चपसाच को करने स्वर्ग
जरुरीयात के लिये प्रसूती है और बिना
रमाने नं. २ में दर्ज सम्पत्ति को बिस्ती
किये स्वयं को का इकहा होना असम्भव



प्रमाणित
नाम श्रीमती विद्या कुमारी
पिता/पति
पता/स्थान
दिनांक
हस्ताक्षर



12

प्रमाणित
हस्ताक्षर

100Rs.



हैं इसलिये लेख्यकारी ने अपने खाने
 न०५ में दर्ज सम्पत्ति की बेचने की बात-
 चीत पलाई तो अंत में खाने न०२ के
 लेख्यधारिणी के साथ अंकन ११२५००)
 एक लाख बारह हजार पाँच सौ रुपया
 में बिक्री संबंधी बात चीत तय हो कर
 हो गया क्योंकि इससे ज्यादा कीमत या
 इतना ही कीमत और कोई दूसरा ग्राहक
 नहीं लगाते हैं इसलिये लेख्यकारी को
 अपने सम्पत्ति का कीमत उचित हो मुनासीब
 समझ में आया इसलिये लेख्यकारी ने
 लेख्यधारिणी के साथ बिक्री संबंधी
 बात चीत निश्चित कर दी और बिक्रय
 पत्र का संस्कार करने के लिये लौट आ-
 दिये।

अतएव लेख्यकारी बड़े सियत
 सम्पत्ति के मूल सजाधिकारी को स्वामी
 को दर्जल कार के होकर तो रहकर अपने
 तन मन तथा हाथ इन्द्रियो के स्वस्था
 वस्था में मानसिक संतुलन के साथ
 रहकर अपने हितों विये रूप कानुनी
 सलाहकारी से परामर्श लेकर जो
 अपने परिवार से राय को मशवरा लेकर

नविश्वकारि
 १३/६/२००३



~~SECRET~~

लीमरी जिना-कुमर

100-443887-1000

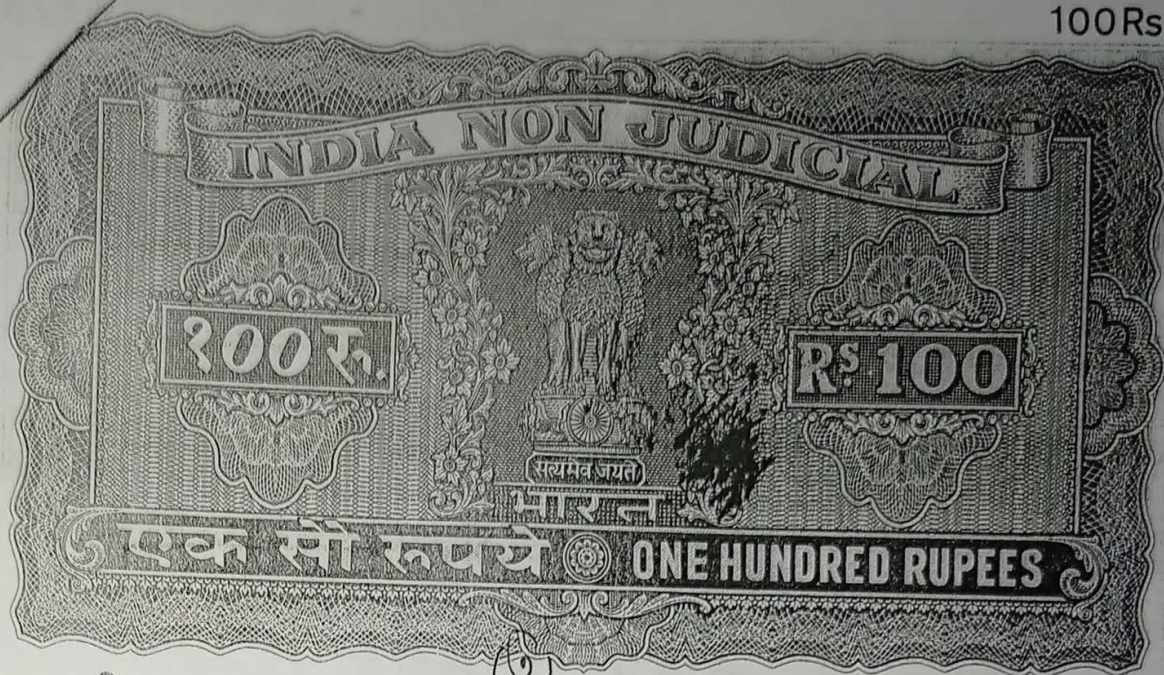
~~SECRET~~ / ~~CONFIDENTIAL~~ ~~UNCLASSIFIED~~ ~~CONFIDENTIAL~~ ~~SECRET~~

~~CONFIDENTIAL~~

12/15/12



12



(६)
 बिना किसी के बाहरी अनुचित दबाव
 को धमकाव के अपने हॉमि को लाभ
 को अच्छी तरह से समझ वीं पुनकर
 रवाने न०५ कि वीरिती सम्पत्ति को रवाने
 न०२ को लेख्यधारिणी के साथ अंकन
 ११२५००) एक लाख बारह हजार पाँच
 सौ रुपया में निर्बिपाय बिस्त्र पत्र
 के वाला बैलांकलामि किया वो लिखा
 वो बेचा वो बिस्त्र पत्र को स्वरार
 स्वीकार किया।-

मूल्य के कुल कीमत लेख्य-
 कारी ने लेख्यधारिणी से इस प्रकार
 से पखल पाया की अंकन १,१२,५००)
 एक लाख बारह हजार पाँच सौ रुपया
 दस्तावेज पर सही वो दस्तरपत वो
 बनाने नेशान के कपल पखल पाया
 इस प्रकार कुल कीमत लेख्य कारी
 को लेख्यधारिणी के यहाँ से पखल
 वो बेचा हो गया। आज तक जो कुछ
 एक वो अधिकार वो स्वाभित्त वो
 हिस्सा रवाने न०५ कि वीरिती सम्पत्ति

सविबल सिंह

१३/६/२००३



प्रमाणित की जाती है, कि
संख्या 12850/
श्रीमती विमला कुमारी
विभा/विधि
प्राप्त/प्रमाणित
दिनांक
स्थान



50 Rs.



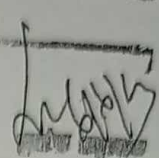
(८)
 मे लेख्यकारी वो उनके वंशज वो उनके
 उत्तराधिकारियों को प्राप्त था होता
 वह कुल हक वो अधिकार कि सभी
 मूल्य पसूल होकर आज कि विधि
 से लेख्यधारिणी रवाने नं० २ को प्राप्त
 हुआ वो है चाहिये कि लेख्यधारिणी
 आज से रवाने नं० २ कि वर्णित सम्पत्ति
 पर काबीज रहकर अपना नाम नसिरिस्ते
 बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन
 रजिस्टर्ड पर अपना नाम इस विक्रय
 पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेंगे
 वो जिस जिस मशरफ में लाना चाहें
 लावेंगे इसमें लेख्यकारी वो उनके
 वंशज वो उनके उत्तराधिकारियों को
 कोई उजूर वो रेत राज नहीं है वो न
 कभी होगा -

बिहार सरकार

१३/६/२००३

यह कि लेख्यकारी ने लेख्य-
 धारिणी रवाने नं० २ को पूर्ण विश्वास
 वो भरोसा दिलाये है कि रवाने नं० २
 कि वर्णित सम्पत्ति मरण भार वो अधिकार



आरोग्य एवं जनसंख्या विभाग, दिल्ली
दिनांक 17/3/2013
काम सीमा विभागाधीन
विभाग/पद
नाम/पद
नाम
दिनांक




17

अवर/निर्वाहक
आयुक्त

(17)
स्वबंधी मंभटो वो सरकारी या गैर
सरकारी पिपादो से मुक्त हैं।

अगर किसी किसीम के खलल
वो फतुर से जुज या कुल है राजी से
लेख्यधारिणी या उनके उत्तराधिकारी
बैदखल ही जाय तो बालीश अदालत
करके कुल खपया असल वो उसका
खुद मय हर्जा वो खर्चा खोसारा
वो तमान लगा कर लेख्यकारी वो
उनके उत्तराधिकारियों के अन्ध
हर प्रकार के चल वो अचल सम्पत्ति
से मनफूला वो गैर मनफूला नामि
बेनामी आम हर एक शाम से जिस
प्रकार चाहें वसूल कर लेंगे इसमें
लेख्यकारी वो उनके उत्तराधिकारियों
को कोई उच्चर वो इतराज नहीं है
वो न होगा।—

इस वास्ते यह वशीफा
निर्धिवाद बिक्रय पत्र के पाला
वो लाक लामी या कि बिक्रय पत्र लिख

बिबि शेर सिंह

१३/६/२००३



मुख्य निषधक
प्राप्त

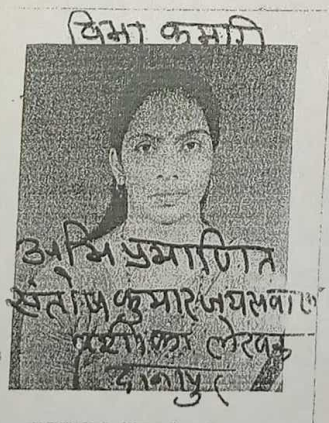
(१०)
 दिया कि समय पर काम आवे वो
 प्रमाण रहे। -

प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति
 वो द्वितीय प्रति फुल दस पृष्ठों में लिखी
 गई है जो एक दूसरे का समान है वो
 वो लेख्यकारी को लेख्यधारिणी ने
 अपने बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों
 का निशान मेरे सामने बनाया। -

लेखक संतोष कुमार जयसवाल

दिनांक :: → १३ - ६ - २००३ ई। -

बाहिरी प्रमाणित

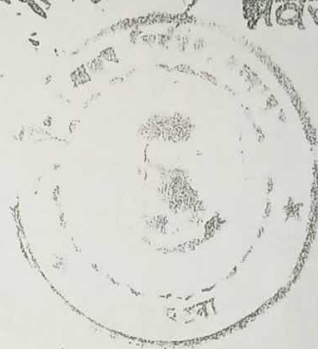


Vibha Kumari



बाहिरी प्रमाणित
 १३/६/२००३

लेखक :: → संतोष कुमार जयसवाल विचार
 स्वयं दानापुर जाना दानापुर
 जिहा पटना विक्रय पत्र लेख्यकारी
 के कथन बिसार लिखा ने कागज
 पंक्तर लेख्यकारी को सुना वो समझा
 दिया। -



भारत सरकार
नया दिल्ली

102
761-580
Jum f
3270
202
12/6/03
Alkumar
13/6/03



(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक

ता०

तक

जिला सागरमाथा - डोटी सन् 2002/2000केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० 686 सन् 1980/81

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																		
5803	श्री मन्नी गिरी हुगारी पति/पति श्री केशो र हुगार ग्राम 38/4 डुमरागुवा थाना शाहीगढ़ जिला पश्चा ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन-पत्र दिया है, जिसे वसीका सं० 3270 दिनांक 15-6-03 द्वारा उन्होंने श्री श्री प्रर सिंह वलद श्री श्री शिवगारागुवा सिंह ग्राम 38/4 डुमरागुवा थाना शाहीगढ़ जिला पश्चा से क्रय किया है। जमीन का विवरण <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>थाना</th><th>तौली</th><th>खाता</th><th>खेसरा</th><th>रकबा</th></tr> <tr> <th>सं०</th><th>सं०</th><th>सं०</th><th>सं०</th><th>सं०</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जमरागुवा</td><td>30</td><td></td><td>166-2317-</td><td>0-15</td><td></td></tr> </tbody> </table> हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 7/8 म/11/20 अंचल अधिकारी रा०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बंध में स्थानीय तौर पर और राजस्व अभिलेखों से जाँच कराई गई। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन - (1) रैयती है। (2) आवेदक के पूर्ण दखल में है। (3) जमाबन्दी श्री श्री प्रर सिंह के नाम से कायम है।	मौजा	थाना	तौली	खाता	खेसरा	रकबा	सं०	सं०	सं०	सं०	सं०		जमरागुवा	30		166-2317-	0-15		
मौजा	थाना	तौली	खाता	खेसरा	रकबा															
सं०	सं०	सं०	सं०	सं०																
जमरागुवा	30		166-2317-	0-15																

रा को क्रम
ख्या और





देश की क्रम
ख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कारवाई के
दिप्राणी तारीख

(4) यह जमीन गैर भजसूआ आम एवं खास नहीं है। यह जमीन भूहदबन्दी के अन्तर्गत नहीं है। मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 21/8 को उपस्थापित करें।

ak
अंचल अधिकारी

21-8-03

मूल जमाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिश/आम ईशतहार का तामिला प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन देखा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल-कब्जा में है। अतः सूचना/रा० कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/अत्तराधिकारी/दान-पत्र/बिक्रय-पत्र दाखिल खारीज करने की 21/8 दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।

ak
अंचल अधिकारी

शुद्धि-पत्र की दो प्रति हल्का कर्मचारी को हस्तगत करवा दें। हल्का कर्मचारी दिनांक 26.8-03 तक राजस्व अभिलेख में सुधार कर हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र की एक प्रति कार्यालय को वापस कर दें एवं एक प्रति अपनी रक्षी संचिका में संधारित करें। सम्बन्धित सहायक कर्मचारी द्वारा वापस हस्ताक्षरित शुद्धि-पत्र की रक्षी संचिका में संधारित करें एवं रजिस्टर-27 में अपेक्षित इन्द्राज संधारित करें।

लेखापित एवं सुशोधित

ak
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

दानापुर।

Certified to be true Copy

Comm
5/10





मु० केश नम्बर— 686
 ग्राम— अमरगौर
 मु० मे खमीन रकबा— 1580
 जरखमन

साल— 03-04
 केबाल— 3270

हुल्का नम्बर 5
 राजस्व थाना नम्बर— 30
 प्राप्त का जरिवा— कृष
 तिथि 13-6-03

अचल— दानापुर
 जिला— पटना

जमाबंदी रंयत का नाम	खाता	प्लोट	रकबा	सगान	जमाबंदी नम्बर 1554
श्री नागेश्वर सिंह पिता— श्री बिनगाधनाथ सिंह सह— श्री गणेश्वर	166	2317	0-15 0-15 0-20	2-00	श्री. ना. दानापुर ना. ना. 31 के ना. 31 पत्त 31 श्री. ना. 31 अधिक 31 के बिलान— रहिल 31 की भागा वि. 31 के ना. 31 जमाबंदी 31 के ना. 31 जमाबंदी 31 के ना. 31 ना. 31 के ना. 31
बना हुआ रकबा 166	472	2004	0-5 0-50	0-50	श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31
नया जमाबंदी रंयत	साता	प्लोट	रकबा	सगान	
श्रीमती विन्ना कुमारी पति— श्री अशोक कुमार सा— 38/4 हनुमान नगर न्यू पुनार्ड चक थाना— शास्त्री नगर जिला— पटना	166	2317	0-15 0-15 0-20	1-50	श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31 श्री. ना. 31 के ना. 31

15/10/03

Certified to be true Copy
 Officer
 15/10

402
विरकुट
वाजापता 6-100
फोलियो 4-50
संख्या 14-52-466 (मोबा 100466)

15/10/12





सरकार
प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: 19082210451499005791
(Receipt No.)

जिला:- Patna	अंचल:- Danapur
हल्का:- जमसौत	मौजा :- जमसौत
जमाबंदी सं०:- 1536/A	
भाग वर्तमान:- 4	मौजा/थाना सं०:- 30
पृष्ठ संख्या:- 29262	
जमाबंदी रयत का नाम:- VIBHA KUMARI	पता:- 38/4, HANUMAN NAGAR, NEW PUNAICHAK, PATNA
अभिभावक का नाम:- ASHOK KUMAR	

खाता संख्या 166	खेसरा संख्या 2317	रकबा/डिसमिल 0 एकड़ 15 डिसमिल 0 हेक्टर
--------------------	----------------------	--

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	0.00	43.50	0.00	50.00	2022-2023 से 2022-2023
कुल	73.50	0.00	73.50	0.00	80.00	2022-2023 से 2022-2023

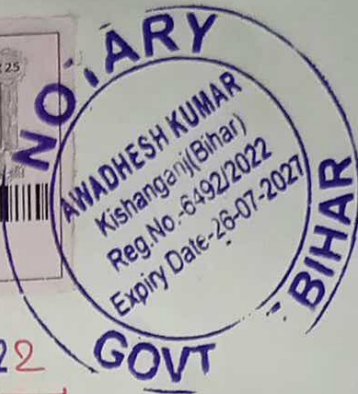
वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	30.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	43.50	50.00	2022-2023 से 2022-2023	
कुल	0.00	73.50	80.00	2022-2023 से 2022-2023	

कुल बकाया-80.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees

तिथि- 19-08-2022



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।



Affidavit No 1831/2022
13/10/22

AFFIDAVIT CUM UNDERTAKING

I, **Vibha Kumari S/o Sri Ashok Kumar**, residing at 38/4, Hanuman Nagar, New Punai Chak, Thana- Shashtri Nagar, Dist- Patna. do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That we have entered into "Development Agreement" Deed No- 6065, Book No.- 1, Volume No.- 119, with **M/s Sai Sampann Infra LLP.** dated **04-04-2022** for the project "**Amber Ajay Palace**" situated at Plot No.- 2317 (P), Khata No.- 166, Thana No.- 30, Tauzi No.- 5456, Mauza- Jamsaud, Thana- Danapur, Dist- Patna to admeasuring **607.24 square meter**. We have our full consent for the development of the said project on the above-mentioned development agreement and also agree for all the terms and conditions mentioned in the above mentioned 'Development Agreement'.

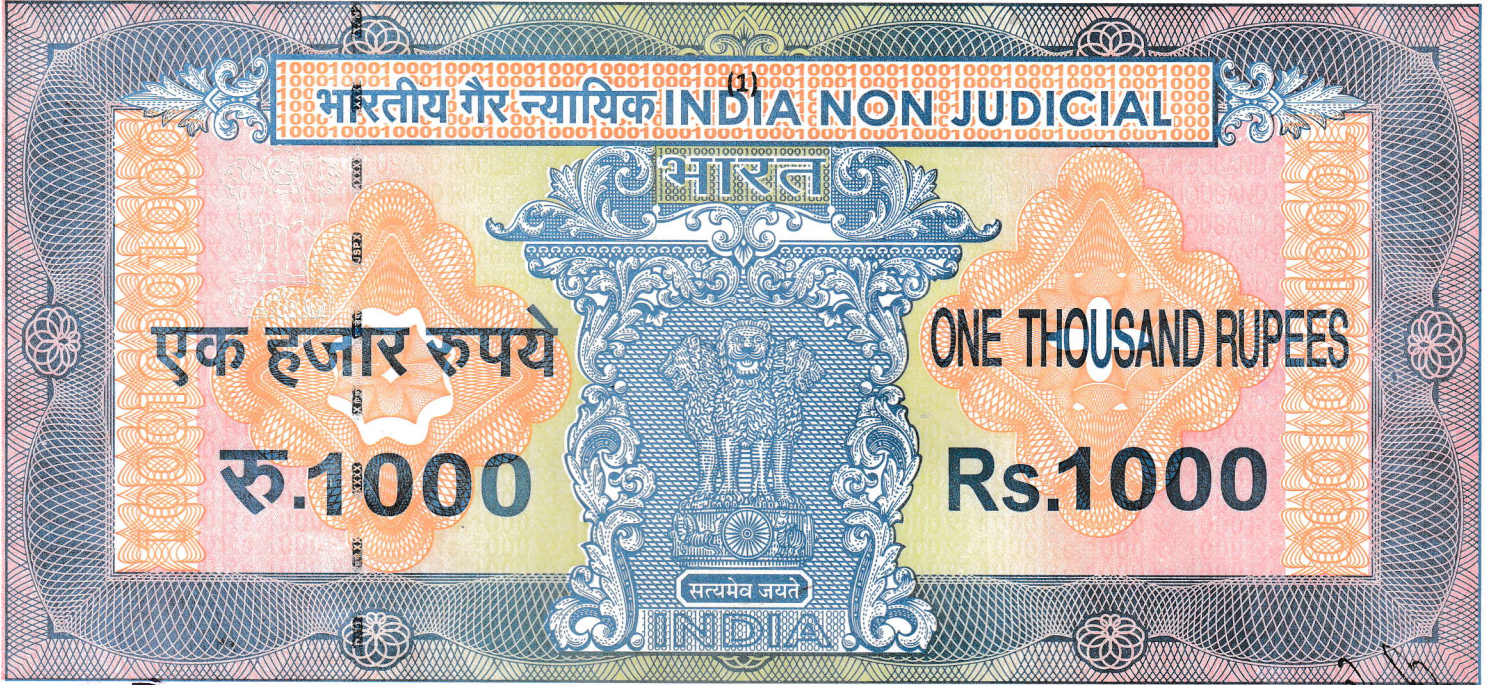
Vibha Kumari

Deponent

A 13/10/22
AWADHESH KUMAR
NOTARY
Kishanganj (Bihar) India
Authorised u/s 8(I) of The
Notary Act LIII of 1952
L No -6492/2022



Identified by me
Notary
Enl-308/12
13/10/2022



बिहार BIHAR

7419 29.09.2022
क्रम संख्या... तिथि... मूल्य. 1000/ पृष्ठ संख्या. 1
क्रेता का नाम एवं पता साई सम्पन्न इन्फ्रा एल.एल.पी. पी.जे.एल.पी. (समुदाय) डी.डी. 100/ पृष्ठ
जगदीश प्रसाद गुप्ता मद्रास विक्टोरियन निबंधन कार्यालय दानापुर ला० नं० 6/83
AP 191243
श्री

बैटवारा — पत्र

(SHARE DISTRIBUTION OF FLAT/UNIT)

जमीन मालकिन एवं विकासक के बीच निर्मित बहुमंजिला भवन में हिस्से का विभाजन

यह विभाजन विलेख, बहुमंजिला ईमारत "अम्बर-अजय पैलेस" में जमीन मालकिन एवं विकासक के बीच हिस्से का विभाजन आज दिनांक 06/10/2022 को निष्पादित हुआ।

यह कि जमीन मालकिन श्रीमती विभा कुमारी पति का नाम श्री अशोक कुमार, निवासी-38/4 हनुमान नगर, न्यु पुनाई चक, थाना- शास्त्री नगर, जिला- पटना राज्य-बिहार, भारतीय-नागरीक एवं मेसर्स साई सम्पन्न इन्फ्रा एल.एल.पी. जिसका LLPIN: AAL-8338, PAN: ADOFS7259Q तथा पंजीकृत कार्यालय- फ्लैट नं०-106, ब्लॉक-ए, बिद्यानन्द महेश्वरी कम्पलेक्स,

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Vibha Kumari
Designated Partner

Vibha Kumari

(2)

मंगलम विहार, सागुना, दानापुर, थाना- दानापुर, पटना- 801503 (बिहार) है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट-2008 के अंतर्गत पंजीकृत है, द्वारा प्राधिकृत नामित भागीदार श्री **विकाश कुमार (DIN-07686879)** पिता का नाम- स्व० अजय कुमार, निवासी- फ्लैट नं०-104, ब्लॉक-ए, बिद्यानन्द महेश्वरी कम्पलेक्स, जजेज कॉलोनी, सगुना, दानापुर, थाना- दानापुर, जिला- पटना 801503, नागरिकता- भारतीय के बीच एक विकास -एकरारनामा निष्पादित हुआ है, जिसका वसीका संख्या - 6065/2022 पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 119, पृष्ठ संख्या 489 से 503, सी.डी. 19/2022 जो निबंधन कार्यालय दानापुर में निबंधित हुआ है। जिसमें जमीन मालकिन का हिस्सा जमीन मालकिन के जमीन पर कुल निर्मित क्षेत्र में 50 (पचास) प्रतिशत तथा विकासक का हिस्सा कुल निर्मित क्षेत्र में 50 (पचास) प्रतिशत होगा।

यह कि जमीन मालकिन द्वारा दिनांक 04/04/2022 को जमीन का दखल - कब्जा विकासक को सुपुर्द किया गया तदनुसार विकासक अब स्वीकृत नक्शा के अनुरूप बहुमंजिला ईमारत बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे जिसके लिए उन्हें जिस-जिस चीज की आवश्यकता हो विकास एकरारनामा के अनुरूप करेंगे।

यह कि जमीन मालकिन का जमीन जो मौजा - बबक्करपुर, सर्वे थाना - दानापुर, जिला पटना के थाना नं० - 30, तौजी नं० - 5456, खाता नं० - 166 (एक सौ छियासठ), सर्वे प्लॉट नं० - 2317 (दो हजार तीन सौ सतरह), एराजी - 15 डिसमील (पन्द्रह) जो 4 कट्ठा 16 धुर के समतुल्य है, इस जमीन पर अम्बर-अजय पैलेस निर्मित होगा जिसमें 50 (पचास) प्रतिशत जमीन मालकिन एवं 50 (पचास) प्रतिशत विकासक को मिला है जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

जमीन मालकिन के हिस्से में मिलने वाले फ्लैटो एवं पार्किंग का विवरण :-

फ्लैट नं०	फ्लोर	एरिया
201	द्वितीय तल	1437 Sq. Ft.
202	द्वितीय तल	1281 Sq. Ft.
203	द्वितीय तल	1196 Sq. Ft.
204	द्वितीय तल	1437 Sq. Ft.
303	तृतीय तल	1196 Sq. Ft.
304	तृतीय तल	1437 Sq. Ft.
G-001	भू-तल	1230 Sq. Ft.

कुल रकवा/एरिया --- **9214 Sq. ft**

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Vibha Kumar
Designated Partner

(3)

एवं सभी फ्लैट का एक-एक कार पार्किंग स्पेश भुतल पर होगा जिसके स्थान का निर्धारण विकासक स्वयं करेंगे एवं विकासक के हिस्से का कुछ अंश जमीन मालकिन के हिस्से में है उक्त हिस्से के एवज में विकासक जमीन मालकिन से अपने हिस्से के भाग का मुल्य कुल **रु0 10,33,750/-** (दस लाख तेतीस हजार सात सौ पचास) चेक के माध्यम से प्राप्त कर चुके है/करेंगे वो अपने हिस्से के हक वो अधिकार जमीन मालकिन को दे दिये है। जमीन मालकिन द्वारा विकासक को किये गये/जायेगें भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	चेक/यूटीआर संख्या-	रकम	बैंक
06/10/2022	344879	2,83,750/-	भारतीय स्टेट बैंक
06/10/2022	344880	7,50,000/-	भारतीय स्टेट बैंक

विकासक के हिस्से में मिलने वाले फ्लैटो एवं पार्किंग का विवरण :-

फ्लैट नं0	फ्लोर	एरिया
101	प्रथम तल	1437 Sq. Ft.
102	प्रथम तल	1281 Sq. Ft.
103	प्रथम तल	1196 Sq. Ft.
104	प्रथम तल	1437 Sq. Ft.
301	तृतीय तल	1437 Sq. Ft.
302	तृतीय तल	1281 Sq. Ft.

कुल रकवा/एरिया --- 8069 Sq. ft

एवं सभी फ्लैट का एक-एक कार पार्किंग स्पेश भुतल पर होगा जिसके स्थान का निर्धारण विकासक स्वयं करेंगे ।

यह कि निर्मित भवन का नाम 'अम्बर-अजय पैलेस' है एवं दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में मिले फ्लैट को अपने इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग अथवा बिक्री या अन्य प्रकार से स्थानान्तरण इत्यादि करने का पूर्णतः हकदार है और रहेंगे, इसपर किसी भी पक्ष/उनके वैधानिक उत्तराधिकारी/वंशज/वैधानिक प्रतिनिधि/आदि को कोई आपत्ति नहीं है और ना ही भविष्य में आपत्ति करने का अधिकार होगा और ना ही भविष्य में इस बँटवारा-पत्र द्वारा मिले हिस्से के

Vibha Kumari

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Designated Partner

(4)

अलावा जमीन मालकिन अपने हिस्से से संबंधित दावा-दावी या अधिकार संबंधित बात करेंगी। यह विभाजन-पत्र जमीन मालकिन के वंशज एवं वैधानिक उत्तराधिकारी पर भी लागू रहेगा एवं किसी भी स्थिति में इसमें फेर - बदल अथवा रद्दो बदली नहीं की जा सकती है।

यह कि उपर्युक्त हिस्से का विभाजन दोनों पक्षों ने आपसी सहमती से किया है, जिसे दोनों पक्षों ने निम्नांकित गवाहों के समक्ष अपनी स्वस्थ मानसिक एवं शारीरिक स्थिति में स्वीकार किया है, और दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में मिले कुल फ्लैटों/कार पार्किंग स्पेश का कुल परम निर्मित क्षेत्र के लिए बिहार सरकार, रेरा एवं अन्य किसी भी प्रकार के कर, शुल्क/जी.एस.टी. इत्यादि जो भी सरकार द्वारा निर्धारित है अथवा भविष्य में निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकासक एवं जमीन मालकिन स्वयं करेंगे। यह विभाजन विलेख मूल रूप से एक प्रति में तैयार किया गया, जिसका छाया प्रति जमीन मालकिन तथा मूल प्रति विकासक रखेंगे।

यह कि दिनांक 06/10/2022 दोनों पक्षों ने अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता में रहते हुए बिना किसी दर वो दबाव के स्वेच्छा व आपसी सहमती से इस विभाजन पत्र को तैयार करवाया है जिसे पढ़ वो पढ़वा कर समझ लिया एवं सही पाकर गवाहों के समक्ष अपना - अपना हस्ताक्षर बनाया।

गवाहगण:-

1. अरुण कुमार
5/0 स्क परभुराम सिंह
हुनुमाननगर, नकु पुनाई चक
पटना - 23.

Vibha Kumari

जमीन मालकिन का हस्ताक्षर

2. आशीष कुमार
5/0 श्री रामरत्न सिंह
हुनुमाननगर, नकु पुनाई चक
पटना - 24.

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Designated Partner

विकासक का हस्ताक्षर

3. कैलाश सिंह
पता - 10 रामदेव सिंह
साठ माशीपुर
पता - 21 नकु
5/0 - 4201 -